राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़

कार्यालय सचिव (प्रशासन)

रजि. कार्यालय–विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर –302005

Corporate Identity Number (CIN):U40109RJ2000SGC016485

Tele-Fax +91-141-2740455,Website: www.rvpn.co.in

क्रमांक:राराविप्रनि / सचिव (प्रशा.) / ए.सीपी. / 2021 / प्रे. 352 जयपुर, दिनांक: 19.01.2021

आदेश

कोविड – 19 जैसी विश्वव्यापी महामारी के दौर में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिस प्रकार दृढ़तापूर्वक अपनी सेवाएं देते हुये स्वयं तथा अन्य सहकर्मियों को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दिया वह सराहनीय है। विगत वर्ष मार्च 2020 और उत्तरोत्तर महामारी के संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों के अंतर्गत विद्युत भवन परिसर (कॉर्पोरेट आफिस) में बॉयोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने की मशीनों को अस्थाई रूप से हटाकर प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर उपस्थिति पंजिका पुनः संधारित की गयी परंतु यह संज्ञान में आया है कि कार्यालय परिसर में ससमय उपस्थिति को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यद्यपि इस विषय में तत्कालीन राजस्थान विद्युत मण्डल और सम्प्रति राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम में समय–समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं किंतु जानकारी में आया है कि इन दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित नहीं हो रही हैं और परिणामस्वरूप कार्यालयों की कार्य निष्पादन क्षमता तथा गुणवत्तापरक सेवाऐं प्रभावित होने की संम्भावना बनती है साथ ही इससे कार्यालयों की सेवाएं लेने वाले जनसामान्य, सेवानिवृत्त लोगों एवं फील्ड से आने वाले अधिकारियों और कार्मिकों को मुख्यालय से अपेक्षित कार्यों के लिये व्यक्तिशः आने पर अथवा उनके प्रकरणों की प्राप्त पत्र – पत्रावलियों के निस्तारण में भी अनावश्यक विलम्ब होने की सम्भावना बनती है। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित दिशा–निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं –

1. प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी कार्यालय के निर्धारित समय (प्रातः 9:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक) कार्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित रखेंगे। भोजनावकाश (दोपहर 1:30 बजे 2:00 बजे तक) निर्धारित समयावधि में ही करना सुनिश्चित करें तथा इस अवधि से पृथक से भोजनावकाश अथवा किसी निजी कार्य से कार्मिकों के कार्यालय परिसर त्यागने को सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / कार्यालय अधीक्षकगण मॉनीटर करेंगें।
2. प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी कार्यालय में अपने–अपने कार्यालयाध्यक्ष के कक्ष में संधारित उपस्थिति पंजिका पर नियत समय पर स्पष्टतः क़ार्यालय के आगमन–प्रस्थान के कॉलम में समय अंकित कर हस्ताक्षर कर उपस्थिति दर्ज करेंगे।
3. विद्युत भवन परिसर में कार्यरत् संविदा कर्मचारी, सुरक्षा प्रहरी, सफाई कर्मी कार्यालय के समय 9:30 से पूर्व अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे ताकि कार्यालय आरम्भ होने पर साफ–सफाई, कक्षों को खोलने आदि की व्यवस्था में समय का अपव्यय नहीं हो।